(1)

(45)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 निगरानी R 591- PBR-17

लट्टूराम धाकड़ पुत्र स्व. श्री सवाई धाकड, आयु 65 वर्ष ,व्यवसाय– कृषि, निवासी– थाने के पास, ग्राम मोहना जिला ग्वालियर म0प्र0

दिनांक 7-2-17 को श्री ... प्रस्तुत / 7-2-17 50

.......आवेदक /निगरानीकर्ता

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 06/12/2016 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार घाटीगांव जिला ग्वालियर म0प्र0, प्रकरण क्रमांक 23/16–17/अ–12 (सीताराम लटटूराम बनाम मध्य प्रदेश शासन) से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय ,

प्रार्थी /निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रकार प्रस्तुत है : –

1. यहकि , प्रार्थी के स्वत्व, स्वामित्व ,आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 1944, 1946, 1949/2, 1949/1, 1949/3, ग्राम मोहना तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर में स्थित है

2. यहकि, प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पास में हेमलता मुदगल की कृषि भूमि सर्वे नं. 1943, एवं अन्य लोगो की कृषि भूमि भी स्थित है । हेमलता मुदगल एवं उनके परिवार जन प्रार्थी की कृषि भूमि पर राजस्व कर्मचारियो की मदद से अवेधानिक एवं बल पूर्वक कब्जा कर बेदखल करने हेतु प्रयासरत है ।

3. यहकि, प्रार्थी द्वारा विवादों से बचने के लिए तथा अपनी कृषि भूमि की वस्तु स्थिति स्पष्ट कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त कृषि भूमि सर्वे नं. 1944 रकवा 0.261 हेक्टेयर, सर्वे नं.1946 रकवा 0.209 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1949/1 रकवा 0.491 हेक्टेयर सर्वे नं. 1949/2 रकवा 0.470

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 591–पीबीआर/17 **जिला** ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2017	आवेदक की ओर से श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता के बिन्दु पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों को सुना गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 6–12–2016 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है आवेदक के आवेदन पत्र पर ही सीमांकन की कार्यवाही की गई है, किन्तु आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । अतः इस निगरानी प्रकरण का निराकरण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि तहसीलदार आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर सीमांकन की कार्यवाही दोबारा की जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	